"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2014—ज्येष्ठ 23, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक एफ 10-4/2014/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री/भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-8/2001/1/एक, दिनांक 27 सितंबर, 2005, द्वारा दी गई सुविधाओं में से केवल श्री अजीत जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए प्रदाय सुविधाओं में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

स्टॉफ व्यवस्था :—

स्वीकृत तीन चतुर्थ श्रेणी "को टर्मिनस" पदों में से एक पद नियमित सेवा से "प्रतिनियुक्ति द्वारा".

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

2. यह संशोधन आदेश, जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

3. भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को पूर्ववत् सुविधा उपलब्ध रहेगी.

4. उक्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

5. उक्त स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. एफ 2014/01-00303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 03-05-2014 द्वारा सहमति दी गई है.

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2014

क्रमांक एफ 2-15/2008/1-सूअप्र.—राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार छत्तीगसढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

(1) डॉ. रमन सिंह — अध्यक्ष
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

(2) श्री टी. एस. सिंहदेव — सदस्य
माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

(3) श्री रामसेवक पैकरा, माननीय मंत्री, — सदस्य
गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेंद्र, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2014

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50 ए दिनांक 17-01-2014 के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 4 अप्रैल 2014 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में श्रीमती शताब्दी सुबोध पाण्डेय को अध्यक्ष नियुक्त करता है :—

1. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अनुसार अध्यक्ष के रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

2. आयोग के अध्यक्ष को राज्य शासन द्वारा विहित वेतन और भत्ते संदेय होंगे तथा उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन व शर्तें वह होंगी जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें.

3. नियुक्त अध्यक्ष, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 तथा छत्तीसगढ़ बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के प्रकाश में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible]

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक एफ 1-3/2014/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जनार्दन कर को छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है एवं उनकी सेवायें मूल विभाग को वापस की जाती है.

2. श्री विजय सिंह, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित को अंतर्नियम की कंडिका 78 के तहत आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 22 मार्च 2014

क्रमांक/454/भू-अर्जन/वाचक/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	बरपानी प.ह.नं. 46	2.883	कार्यपालन अभियन्ता, सह सदस्य सचिव जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जिला महासमुंद.	साकरा से झगरेनडीह मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मई 2014

क्रमांक क/भू.अ./2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
891/1	0.04
891/2	0.03
891/3	0.02
891/4	0.01
891/6	0.01
891/7	0.01
891/8	0.01
892	0.28
894	0.01
895/1	0.03
895/2	0.03
895/3	0.06
970/1	0.08
970/2	0.08
896/1	0.02
896/2	0.04
897/2	0.06
897/3	0.02
910/1	0.02
911	0.21
971	0.09
972	0.12
965/1	0.02
965/2	0.02
966/2	0.07
967	0.54
968	0.08
योग 27	2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्‍ क्ता है-साराडीह बैराज योजना के अंतर्गत सिरियागढ़-मांजर मार्ग पर बोराई ब्रिज पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण नुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में कि जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 म 2014

क्रमांक क/भू.अ./2014.—चूंकि रा य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसू े के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मांजरकूद, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.68 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
81	0.11
82/1	0.14
82/2	0.23
92/1	0.10
93/1	0.09
125	0.19
123	0.04

(1)	(2)
112	0.32
119/2	0.01
120	0.09
106	0.09
114	0.01
115	0.07
109, 110	0.05
111	0.12
116	0.02
योग 16	1.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज योजना के अंतर्गत सिरियागढ़-मांजरकुद मार्ग पर बोराई ब्रिज पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक/462/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 03 अ./82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

ची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.360 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	22	1.360
योग	1	1.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक/463/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 4 अ./82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुता, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.775 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	98/2	0.316
	403/1	0.305
	403/2	0.304
	403/3, 408/6	0.607
	465/5	0.243
योग	5	1.775

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनान्तर्गत योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक/460/प्र.क्र. 6/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-सुरपा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1057	0.20
योग	1	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.